न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या– 60/2019

निर्णय दिनांक– 28.12.2020

वादिनी	बनाम	प्रतिवादी
1. भाग्य लक्ष्मी तिवाड़ी पुत्री नारायण प्रसाद पत्नी नारायण तिवाड़ी जाति ब्राह्मण निवासी बुड़किया तहसील भोपालगढ़ हाल निवासी धूनधाड़िया तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1. तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 088 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

वकील वादिनी ने एक वाद अंतर्गत धारा 088 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है–

1. ग्राम देवातड़ा तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 519 के खसरा नं. 517 रकबा 44 बीघा 09 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसको आगे दावे में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। सबूत में जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 तक संलग्न है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादिनी एवं अन्य सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

2. वादग्रस्त आराजी वादिनी की खातेदारी पुस्तैनी भूमि है तथा वादिनी के पिता के फौत होने पर नामान्तरकरण भरते समय बोलचाल की भाषा में वादिनी का नाम भीकी दर्ज कर दिया गया जबकि वादिनी के अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता डायरी, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादिनी का नाम भाग्य लक्ष्मी तिवाड़ी है। उक्त खातेदारी वादिनी अपना नाम भीकी के स्थान पर भाग्य लक्ष्मी तिवाड़ी नाम की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया।

वादिनी के वाद को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार भोपालगढ़ को सम्मन जारी किया गया। तहसीलदार भोपालगढ़ ने जवाब दावा पेश किया जिसमें बताया गया कि वादिनी स्वयं स्वीकार कर रही है कि पिता के फौत होने से नामान्तरकरण भरते समय वादिनी का नाम भीकी दर्ज किया गया था, परन्तु वादिनी ने अपना नाम परिवर्तन करने से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत ग्राम देवातड़ा की खाता संख्या 519 की जमाबंदी में अंकित नोट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1662 विरासत 05.10.2010 भीकी पुत्री नारायण प्रसाद नाम दर्ज है तथा तदनुसार ही जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण की अमल दरामद की हुई है। अतः कोई लिपिकीय त्रुटि नही हुई है तथा वादिनी द्वारा प्रस्तुत राजस्व

28.12.2020
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने के आदेश फरमावे। तत्पश्चात् तनकीयात कायम की गयी एवं वादिनी, मालाराम पुत्र भीकाराम जाति जाट निवासी बुड़किया, भगाराम पुत्र खुमाराम जाति मेघवाल निवासी बुड़किया के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये गये जो शामिल मिसल किये गये। वादिनी अधिवक्ता एवं सरकारी पैरोकार द्वारा साक्ष्य जिरह नही करने एवं अन्य साक्ष्य पेश नही करने का निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान साक्ष्य बंद किया गया।

हमने तहसीलदार भोपालगढ़ के जवाब दावा एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकील वादिनी एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी जिसके अनुसार वादिनी का वाद अंतर्गत धारा 088 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का खारिज योग्य होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.12.2020

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

भोपालगढ़